कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक ..../एम.सी./अराज/5/2025 भोपाल, दिनांक ..../01/2025

//आदेश //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 161/स्था/अराज/2024, दिनांक 31.01.2024 एवं इस कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/23111/एमसी/अराज/5/2024 भोपाल, दिनांक 05.07.2024 के द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबद्ध चिकित्सालयों मे रिक्त दिव्यांगजनों – नर्सिंग ऑफिसर, लैब अटेंण्डेंट, एवं भृत्य के पदों पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञप्ति से दिनांक 14.11.2024 एवं 12.12.2024 को आयोजित साक्षात्कार उपरांत चयनित नर्सिग ऑफिसर को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान कर आपकी पदस्थापना संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में की जाती है।

दिव्यांगजन (नर्सिंग आफिसर) लोकोमोटर

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	पता
1	श्यामा बघेल पिता श्री भैरव सिंह बघेल	महिला	ST	धार
2	श्रीमती ज्योति गर्जुर पति प्रवीण गुर्जर	महिला	ST	धार
3	पूजा नागवंशी पिता वंशीलाल नागवंशी	महिला	SC	छिदवाड़ा
4	सोनम बी बहना पिता अजीम खान	महिला	EWS	विदिशा
5	अर्चना गोंड पिता श्री लाहन्या गोंड	महिला	ST	भोपाल
6	अन्नपूर्णा कुशवाहा पति मनीष कुशवाहा	महिला	OBC	कटनी
7	डोली लुहार पिता बिहारी लाल लुहार	महिला	OBC	सागर
8	लाली मेडा पिता दल सिंह मेडा	महिला	ST	अलीराजपुर
9	नेहा ठाकुर पति विकास यादव	महिला	OBC	ग्वालियर
10	रोशनी कुशवाह पिता संजय कुमार	महिला	UR	ग्वालियर
11	रीमा पंचेश्वर पति शिवकुमार	महिला	OBC	बालाघाट
12	प्रिती धमगाये पिता मानकलाल	महिला	SC	बालाघाट
13	रिचा श्रीवास पिता सरमन श्रीवास	महिला	OBC	सिवनी

दिव्यांगजन (नर्सिंग आफिसर) दृष्टिबाधित और कम दष्टिबाधित

कं.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	पता
1	स्वाति सूर्यवंशी पिता मनोज सूर्यवंशी	महिला	OBC	बैतूल
2	नीलम साहू पिता मंगल प्रसाद	महिला	OBC	छिदवाड़ा
3	शीला डहरवार पति शिवा डहरवार	महिला	OBC	भोपाल
4	मनीषा यादव पिता श्याम राव यादव	महिला	OBC	बैतूल
5	शिल्पा बिसेन पति रमेश बिसेन	महिला	OBC	बालाघाट
6	दीक्षा वर्मा पिता हरिशंकर वर्मा	महिला	OBC	सिवनी
7	जय श्री नायर पिता मोहन नायर	महिला	EWS	सागर
8	संचिता दुबे पिता संजय दुबे	महिला	UR	जबलपुर

CamScanner

दिव्यांगजन (नर्सिंग आफिसर) बहरे और कम बहरे

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	पता
1	गरीमा ठाकुर पिता/पति राजू ठाकुर	महिला	ST	जबलपुर
2	संगीता चंदेले पिता रामकिशोर	महिला	EWS	सागर
3	कल्पना सिंह पिता शंभू सिंह	महिला	OBC	रायसेन
4	रूपा यादव पति कमलेश यादव	महिला	OBC	सीहोर
5	चित्ररेखा नागपूरे पिता/पति चन्दुलाल नागपूरे	महिला	OBC	बालाघाट
6	गुलनाज खान पिता/पति हामिद खान	महिला	EWS	विदिशा
7	सुमन राय पति गयन चंद्र राय	महिला	OBC	जबलपुर
8	अनामिका द्विवेदी पिता नागेन्द्र द्विवेदी	महिला	GEN	रीवा
9	वर्षा गौतम पति मिनेंद्र गौतम	महिला	OBC	बालाघाट
10	बुलबुल पांजरे पिता नरेंद्र पांजरे	महिला	OBC	इन्दौर
11	भारती सूर्यवंशी पिता/पति भगवानदीन सूर्यवंशी	महिला	SC	सतना

दिव्यांगजन (नर्सिंग आफिसर) मानसिक विकलांग

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	पता
1	कांता पवार पिता गणपति पवार	महिला	OBC	सीहोर

नियुक्ति की शर्तेः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
2. उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जाती है।
3. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के साथ न्यूनतम 03 वर्ष की सेवायें देने हेतु 500/– रूपये के स्टाम्प पर बॉण्ड "सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र" निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय की राशि इस संस्था को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया राशि के समान वसूली योग्य होगी।
4. तीन माह पश्चात नर्सिंग ऑफिसर के कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा ;सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत पर रखा जाता है।
5. चयनित प्रत्याशी को 100/– रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
6. चयनित प्रत्याशी को चयन सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती हैं, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण–पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र प्रमाणित मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन नियमों के तहत होगी, तथा चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं संबद्ध चिकित्सालयों में पदस्थ नवनियुक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिनियुक्ति की पात्रता होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

CS CamScanner

11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ–7–2 /96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
13. चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परीवीक्षा अवधि में त्याग पत्र दिया जाता है तो नियुक्ति शर्त क्रमांक 03 के अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित उम्मीदवार त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा कर अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर देना अनिवार्य होगा।
14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो पर भी हो सकता हैं।
18. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
19. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुऐ किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।
20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होगे।
21. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनॉक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगे।
22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
23. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

(।)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 861-900 /एम.सी./अराज–5/2025 भोपाल, दिनांक 7/01/2025

1. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय,भोपाल।
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी,गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
7. मेट्रन, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि इनकी उपस्थिति कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी/गोपनीय शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. **संबंधित कर्मचारी नाम**..**पदनाम–** नर्सिंग ऑफिसर., **पता**.. ....**की ओर पालनार्थ।**
10. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

CamScanner